वकील प्रार्थी द्वारा जवाब आपत्ति एव जवाब इर. पेश नही करने का कथन किया/ प्रार्थी सीधा ही बहस करना चाहते है/ अतः पत्रावली बहस आपत्ति एव बहस इर. दि. 3/1/24 को पेश हो

3/1/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित/ बहस उभयपक्ष सुनी गई। अप्रार्थी द्वारा जर्ये अभिभाषक दिनांक 02.08.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण से संबंधित राशि को माननीय वाणिज्यिक न्यायाालय कोटा ने स्थगित कर दिया है। इस संबंध में माननीय वाणिज्यिक न्यायालय कोटा के दीवानी विविध प्रकरण संख्या 16/2023 में पारित आदेश दिनांक 11.07.2023 की प्रति पेश की। जिसमें '' प्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी/प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया गया है कि वे उनके द्वारा जारी आदेश कमांक 2316–25 दिनांक 26.12.2019, के क्रम में पत्रांक 3224–25 दिनांक 20.03.2020, पत्रांक 2763–64 दिनांक 22.01.2021, पत्रांक 989–90 दिनांक 24.07.2021, पत्रांक 1181 दिनांक 08.09.2021 एवं पत्रांक 4171–73 दिनांक 23.11.2022 की क्रियान्विति के क्रम में प्रार्थी से कोई राशि वसूल न करें और प्रार्थी कम्पनी की बैंक गारण्टी से न तो कटौति करे, और न ही वसूली करें।'' चूंकि प्रकरण में माननीय वाणिज्यिक न्यायालय कोटा द्वारा वसूली पर स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही संभव नही है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक हस्तगत प्रकरण स्थगित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तामील अभिलेख में प्रविष्ठि हो। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2024.01.31 13:04:18 IST
Reason: SelfAttested